COURT FEE 1 INDIA भारत एक रुपया ONE RUPEE

दस रुपये TEN RUPEES

भारत दो रुपये TWO RUPEES

COURT 2 Rs. भारत दो रुपये TWO RUPEES

C.S.R/2015

(11)

न्यायालय राजस्व परिषद म.प्र. ग्वालियर.
===================================

प्र0क्र0 R-238-I/09

प्यारेलाल पिता बालू जी घोसी
निवासी मन्दसौर — आवेदक

बनाम

विनोद पिता रामचन्द्र पालीवाल
निवासी मन्दसौर —— अनावेदक

रिविजन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मन्दसौर के अपील क्रं. 101/07-08 में पारित दिनांक 31.12.08 से परिवेदित होकर जो न्यायालय तहसीलदार परगना मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 31/अ-6/07-08 में पारित आदेश दिनांक 11.7.08 के विरुद्ध पेश थी ।
===

—2

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार.
==============

§1§ यह कि आदेश अन्तर्गत रिविजन विधि एवं प्रक्रिया के सर्वथा प्रतिकूल होकर स्थिर रहने योग्य नहीं है ।

§2§ यह कि रिस्पा.ने छोटीबाई वि.बालकिशन के मध्य सिविल न्यायालय वाद चल रहा होने के दौरान न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की कि बालकिशन भूमि को विक्रय, रहन, किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें किन्तु बालकिशन ने दौराने वाद रिस्पा.को भूमि विक्रय करदी जिसे अतिरिक्त सिविल जज महोदय, वर्ग-2 मंदसौर ने प्रकरण क्रमांक ..S.S.A.O.S.... में अनावेदक के पक्ष में किये गये विक्रय शून्य घोषित कर दिया उक्त आज्ञप्ति के प्रकाश में अनावेदक का नाम भूमि कम कर दिया उक्त सिविल जज के निर्णय व आज्ञप्ति अपील न्यायालय क्रमांक तृतीय अतिरिक्त जिला जज ने ... क्रमांक ..7..1.A.07.... में पारित निर्णय से सिविल न्याया

प्रकाश शर्मा एडवोकेट 26-2-09
प्रस्तुत द्वारा ... आज दि० 26-2-09
अवर सचिव राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

12/2/11 ... 7

... 26-2-09

-2- प्यारेलाल / विनोद

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(७)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 238/I/09 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के प्रकरण क्रमांक अपील/101/07-08 में पारित आदेश दिनांक 31-12-08 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। कलेक्टर, मंदसौर (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	